ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

आज़ादी का अमृत महोत्सव

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांकः 003/2021/को.–19/327–08/2022
दिनांक : 11.01.2022

परिपत्र

कोविड–19 के बढते मामले को देखते हुए परिपत्र क्रमांक 003/2021/को.19/327–06/2022 दिनांक 10.01.2022 के माध्यम से पी–एच.डी. शोधार्थियों को छोड़कर समस्त विद्यार्थियों को उनके स्वास्थ्य हित में छात्रावास छोड़कर अपने गृहनगर प्रस्थान करने की सलाह दी गई है। इसी की निरंतरता में पी–एच. डी. शोधार्थी तथा टिकट की प्रत्याशा में छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों को निम्नलिखित नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा :

1. पुरूष एवं महिला छात्रावास से कोई भी अंतेवासी रजिस्टर में प्रविष्टि करने के बाद ही विश्वविद्यालय में निर्देशक या विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय पर ही उनसे मिल सकेंगे।
2. पुस्तकालय में अध्ययन हेतु आने की स्थिति में छात्रावास रजिस्टर और पुस्तकालय रजिस्टर दोनों में आने और जाने का समय अंकित करना होगा।
3. छात्रावास से बिना अनुमति बाहर जाने की स्थिति में उन्हें छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
4. पुस्तकालयाध्यक्ष या निर्देशक से पूर्व निर्धारित समय में ही भेंट की जा सकती है। शहर में किसी आवश्यक कारण से जाने के लिए अंतेवासी को छात्रावास अधीक्षक से पूर्वानुमति लेनी होगी तथा अधीक्षक द्वारा निर्धारित अवधि में ही छात्रावास में लौटना होगा। किसी भी स्थिति में यह अवधि निर्धारित समय से अधिक नहीं होगी । रात्रि में बाहर कहीं भी रूकने की अनुमति नहीं होगी।
5. छात्रावास में अंतेवासी के किसी भी रिश्तेदार या मित्र को आने की अनुमति नहीं होगी।
6. यदि कोई अंतेवासी छात्रावास में किसी रिश्तेदार या मित्र को साथ लाता है या उससे मिलने उसके मित्र/रिश्तेदार छात्रावास में आते हैं तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
11/01/22

प्रतिलिपि (ई–मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. सभी अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक
4. कुलानुशासक
5. समस्त छात्रावास अधीक्षक
   (इस अनुरोध के साथ कि संबंधित छात्रावास के अंतवासियों को सूचित करें)
6. विश्वविद्यालय वेबसाइट
7. संबंधित पत्रावली